# अनुदान संख्या 102 – जल संसाधन मंत्रालय
# GRANT No. 102–MINISTRY OF WATER RESOURCES

| | | | | कुल अनुदान या विनियोग<br>Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय<br>Actual expenditure | बचत-<br>Saving– |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (हजार रुपयों में)<br>(In thousands of rupees) |
| **राजस्व:** | **Revenue:** | | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | | |
| मूल | Original | 853,01,00 | | 853,02,00 | 750,26,78 | –102,75,22 |
| पूरक | Supplementary | 1,00 | | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 80,31,08 |
| **पूंजीगत:** | **Capital:** | | | | | |
| *प्रभारित-* | *Charged–* | | | *4,00,00* | *1,95,12* | *–2,04,88* |
| *वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि* | *Amount surrendered during the year* | | | | | *25,00* |
| स्वीकृत- | Voted– | | | 41,15,00 | 34,20,79 | –6,94,21 |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | | 3,60,00 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''3451''<br>सचिवालय - आर्थिक सेवाएं | Major Head "3451"<br>Secretariat - Economic Services | | | | |
| मू. | O. | 2076.00 | 2006.72 | 1732.07 | –274.65 |
| पु. | R. | –69.28 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 5760.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –5760.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2701" मुख्य तथा मध्यम सिंचाई | Major Head "2701" Major and Medium Irrigation | | | | |
| मू. | O. | 24793.00 | 21159.11 | 20319.55 | –839.56 |
| पु. | R. | –3633.89 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2702" लघु सिंचाई | Major Head "2702" Minor Irrigation | | | | |
| मू. | O. | 12460.00 | 12388.50 | 11800.93 | –587.57 |
| पु. | R. | –71.50 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2705" कमान क्षेत्रा विकास | Major Head "2705" Command Area Development | | | | |
| मू. | O. | 300.00 | 201.00 | 70.68 | –130.32 |
| पु. | R. | –99.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2711" बाढ़ नियंत्राण तथा जल निकासी | Major Head "2711" Flood Control and Drainage | | | | |
| मू. | O. | 6683.00 | 9784.59 | 9576.12 | –208.47 |
| पु. | R. | 3101.59 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 30700.00 | | | |
| पू. | S. | 1.00 | 29210.00 | 29079.18 | –130.82 |
| पु. | R. | –1491.00 | | | |

(I) 8471.45 लाख रु. का प्रावधान तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8146.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2552'' -

(क) ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' -

(i) ''नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य'' - 2775.00 लाख रु.;

(ii) ''बाढ़ पूर्वानुमान'' - 366.00 लाख रु.;

(ख) ''कमान क्षेत्रा विकास - अन्य व्यय - कमान क्षेत्रा विकास'' - 1500.00 लाख रु.;

(ग) ''सामान्य - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'' - 215.00 लाख रु; और

(घ) ''भू जल अन्वेषण - भू जल प्रबंधन और विनियमन'' - 660.00 लाख रु.।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक

(I) Provision of Rs.8471.45 lakhs remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.8146.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Flood Control - Other Expenditure" –

(i) "River Management Activities and Works related to Border Areas " – Rs.2775.00 lakhs;

(ii) "Flood Forecasting" – Rs.366.00 lakhs;

(b) "Command Area Development – Other Expenditure – Command Area Development" – Rs.1500.00 lakhs;

(c) "General – Development of Water Resources Information System" – Rs.215.00 lakhs; and

(d) "Ground Water Investigation – Ground Water Management and Regulation" – Rs.660.00 lakhs.

Provisions under the above five heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North

शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2705'' - ''अन्य व्यय - अनुसंधान और विकास कार्यक्रम'' - 130.00 लाख रु. उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - '' योजनेतर अनुदान - मुख्य सिंचाई (गैर-वाणिज्यिक) - सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना - सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना'' - 2500.00 लाख रु. पंजाब करार समापन अधिनियम, 2004 पर राष्ट्रपति के संदर्भ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की वजह से निधियां जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - जल संसाधन मंत्रालय'' के अंतर्गत 309.00 लाख रु. की बचत (1750.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, सरकारी दौरों पर प्रतिबंध लगा होने और बघलियार विद्युत परियोजना संबंधी तटस्थ विशेषज्ञ के समक्ष कम सुनवाई होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2701'' - ''सामान्य'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(का) ''अनुसंधान - जल-विज्ञान परियोजना'' - 2602.46 लाख रु. की बचत (3300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने, व्यय प्रतिपूर्ति आधार पर होने के कारण हुई।

(खा) ''परामर्शी सेवा - केंद्रीय जल आयोग'' - 151.88 लाख रु. की बचत (1540.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''ऊपरी यमुना नदी बोर्ड आरक्षित निधि/जमा लेखे को निधि का अंतरण - ऊपरी यमुना नदी बोर्ड'' - 110.00 लाख रु. की बचत (140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भाग लेने वाले राज्यों से भाग की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य व्यय'' -

Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(B) Major Head "2705" - "Other Expenditure - Research and Development Programme" - Rs.130.00 lakhs - due to non-receipt of utilisation certificates.

(C) Major Head "3601" – "Non-Plan Grants – Major Irrigation (Non-Commercial) - Sutlej Yamuna Link Canal Project - Sutlej Yamuna Link Canal Project" - Rs.2500.00 lakhs - due to non-release of funds owing to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Presidential Reference on Punjab Termination of Agreements Act, 2004.

(II) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Water Resources" – saving of Rs.309.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1750.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, restriction on official tours and less hearing before Neutral Expert on Baglihar Electric Project.

(III) Under Major Head "2701" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Research – Hydrology project" - saving of Rs.2602.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3300.00 lakhs) was due to receipt of less claims, expenditure being on reimbursement basis.

(B) "Consultancy - Central Water Commission" – saving of Rs.151.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1540.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(C) "Transfer of Fund to the Upper Yamuna River Board Reserve Fund/Deposit Account - Upper Yamuna River Board" – saving of Rs.110.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140.00 lakhs) was due to less sharing amount received from the participatory States.

(D) "Other Expenditure" –

(क) ''अन्य स्कीमें'' - 117.76 लाख रु. की बचत (220.15 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप न दिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Schemes" – saving of Rs.117.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.220.15 lakhs) was due to non-finalisation of pending Assured Career Progression cases and economy measures.

(ख) ''जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास'' - 1322.71 लाख रु. की बचत (2785.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, विदेशी और घरेलू दौरों पर कम व्यय किए जाने और हार्डवेयर/साफ्टवेयर उपस्करों की खरीद को आस्थगित किए जाने के कारण हुई।

(b) "Development of Water Resources Information System" – saving of Rs.1322.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2785.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less expenditure on foreign and domestic tours and deferment of purchase of hardware/ software equipment.

(ग) ''अवसंरचना विकास'' - 200.61 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हार्डवेयर/साफ्टवेयर उपस्कर की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(c) "Infrastructure Development" – saving of Rs.200.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-finalisation of purchase of hardware/ software equipment.

(घ) ''जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण'' - 447.48 लाख रु. की बचत (2956.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्य का अंतरण राष्ट्रीय जल विकास अकादमी से केंद्रीय जल आयोग को किए जाने की वजह से केन बेतवा संपर्क नदी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के कार्य से संबंधित अदायगी न किए जाने के कारण हुई।

(d) "Investigation of Water Resources Development Scheme" – saving of Rs.447.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2956.00 lakhs) was due to non-payment for work of preparation of detailed project report of Ken Betwa Link river owing to transfer of work to National Water Development Academy from Central Water Commission.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू जल - अन्वेषण - भू जल - प्रबंधन और विनियमन'' के अंतर्गत 950.48 लाख रु. की बचत (6740.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और रिगों एवं वाहनों की अधिप्राप्ति संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2702" - "Ground Water – Investigation – Ground Water - Management and Regulation" – saving of Rs.950.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6740.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-finalisation of proposals of procurement of Rigs and Vehicles.

(V) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - कमान क्षेत्रा विकास - अन्य अनुदान - कमान क्षेत्रा विकास'' के अंतर्गत 486.48 लाख रु. की बचत (28200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाण-पत्रा के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Command Area Development – Other Grants - Command Area Development" – saving of Rs.486.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28200.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificate.

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 290.96 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1394.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय योजना स्कीमों को अनुदान" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अनुदान की पूरक मांगों के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "सतह जल - अन्य अनुदान - जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास" - 396.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 395.98 लाख रु. था।

(खा) "बाढ़ नियंत्राण - अन्य अनुदान - सीमा क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्यकलाप और निर्माण कार्य" - 998.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 968.68 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष "2701" - "सामान्य" के अंतर्गत -

(क) "आंकड़ा संग्रहण - केंद्रीय जल आयोग" - 260.23 लाख रु. का अधिक व्यय (4375.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने, महंगाई भत्ते में वृद्धि होने और अधिक चिकित्सा दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(ख) "अनुसंधान" -

(i) "केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र" - 154.78 लाख रु. का अधिक व्यय (2260.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित/कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और

(VI) Under four heads savings of Rs.290.96 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 13 percent to 60 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.1394.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in November, 2007 and vide Annexure to Supplementary Demands for Grants under Major Head "3601" - "Grants for Central Plan Schemes" – under the following heads:-

(A) "Surface Water – Other Grants - Development of Water Resources Information System" – Rs.396.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.395.98 lakhs.

(B) "Flood Control – Other Grants – River Management Activities and Works related to Border Areas" – Rs.998.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.968.68 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head – "2701" - "General" -

(a) "Data collection - Central Water Commission" - excess of Rs.260.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4375.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases, increase in dearness allowance and receipt of more medical claims.

(b) "Research" –

(i) "Central Water and Power Research Station" - excess of Rs.154.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2260.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases of regular/work charge staff and increase in dearness allowance.

महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(ii) ''अनुसंधान और विकास कार्यक्रम'' - 428.29 लाख रु. का अधिक व्यय (2900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान तथा विकास स्कीम के अंतर्गत किसान भागीदारी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2702'' - ''भू-जल - अन्वेषण - केंद्रीय भू जल बोर्ड'' - 381.36 लाख रु. का अधिक व्यय (5570.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नियमित/कार्य प्रभारित कर्मचारियों के आश्वासित कैरियर प्रोन्नति के लंबित मामलों को अंतिम रूप दिए जाने और महंगाई भत्ते में वृद्धि होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''2711'' - ''बाढ़ नियंत्राण - अन्य व्यय'' -

(क) ''केंदीय जल आयोग'' - 237.71 लाख रु. का अधिक व्यय (3410.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते में वृद्धि होने और निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ख) ''पगलादिया बांध परियोजना'' - 135.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''बाढ़ का पूर्वानुमान'' - 156.90 लाख रु. का अधिक व्यय (1234.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(घ) ''नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमा क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य'' - 2349.02 लाख रु. का अधिक व्यय (1825.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचत

(ii) "Research and Development Programmes" - excess of Rs.428.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2900.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for farmer participatory programme under R&D Scheme.

(B) Major Head "2702" – "Ground Water – Investigation – Central Ground Water Board" - excess of Rs.381.36 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5570.00 lakhs) was due to finalisation of pending Assured Career Progression cases of regular/work charged staff and increase in dearness allowance.

(C) Major Head "2711" – "Flood Control – Other Expenditure" -

(a) "Central Water Commission" - excess of Rs.237.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3410.00 lakhs) was due to increase in dearness allowance and additional requirement of funds for execution of works.

(b) "Pagladia Dam Project" - excess of Rs.135.00 lakhs (against nil provision);

(c) "Flood Forecasting" - excess of Rs.156.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1234.00 lakhs); and

(d) "River Management Activities and Works related to Border Areas" - excess of Rs.2349.02 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1825.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the *charged* portion of the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष ''7601'' राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार | Major Head "7601" Loans and Advances to State Governments | | *300.00* | *131.94* | *–168.06* |

निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) ''योजनेतर स्कीमों के लिए कर्ज - बाढ़ नियंत्राण - अन्य कर्ज - पूर्वी तथा पश्चिमी सेक्टरों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष कर्ज सहायता'' के अंतर्गत *168.06 लाख* रु. की बचत (*300.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें

(I) Under "Loans for Non-Plan Schemes – Flood Control – Other Loans – Special Loan assistance for emergent flood protection works in the Eastern and Western Sectors" – saving of *Rs.168.06 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.300.00 lakhs*) was due to non-receipt of proposals from State Governments.

4. In the voted portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्राों पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 240.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –240.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''4702'' लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "4702" Capital Outlay on Minor Irrigation | | | | |
| मू. | O. | 415.00 | 172.00 | 126.80 | –45.20 |
| पु. | R. | –243.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष ''5075'' अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय | Major Head "5075" Capital Outlay on other Transport Services | | | | |
| मू. | O. | 3200.00 | 3225.00 | 3098.91 | –126.09 |
| पु. | R. | 25.00 | | | |

निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(I) 240.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 200.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''4552'' - ''बाढ़ नियंत्राण पर पूंजीगत परिव्यय - अन्य व्यय - अवसंरचना विकास'' के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम के लाभ संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष ''4702'' - ''भू जल - अवसंरचना विकास'' के अंतर्गत 288.20 लाख रु. की बचत (415.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि के अधिग्रहण और केंद्रीय जल आयोग से ड्राइंग और डिजाइन प्राप्त होने में विलंब होने और अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में विलंब होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''5075'' - ''नदी प्रशिक्षण कार्य - फरक्का परियोजनाएं - फरक्का बांध'' के अंतर्गत 101.09 लाख रु. की बचत (3200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्टॉक मदों का क्रय न किए जाने के कारण हुई।

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 66.53 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 67 प्रतिशत थी।

(I) Provision of Rs.240.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.200.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Capital Outlay for Flood Control – Other Expenditure – Infrastructure Development" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4702" – "Ground Water – Infrastructure Development" – saving of Rs.288.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.415.00 lakhs) was due to delay in land acquisition and receipt of drawing and design from Central Water Commission and in the process of procurement.

(III) Under Major Head "5075" – "River Training Works – Farakka Projects – Farakka Barrage" – saving of Rs.101.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3200.00 lakhs) was due to non-purchase of stock items.

(IV) Under one head saving of Rs.66.53 lakhs occurred constituting 67 percent of the sanctioned provision.